मेले में करोड़ो रूपये से अधिक की ऋण राशि की गई स्वीकृत

स्वदेश संवाददाता, गरियाबंद

जिले के अधिक से अधिक लोगों को व्यवसाय एवं स्वरोजगार से जोड़ने के लिए जिला प्रशासन द्वारा अग्रणी बैंक के तत्वाधान में गरियाबंद के जनपद पंचायत सामुदायिक भवन में आजीविका ऋण मेला का आयोजन किया गया। ऋण मेला में हितग्राहियों को विभिन्न ऋण योजनाओं से लाभान्वित किया गया। साथ ही वित्तीय धोखाधड़ी से बचने के उपाय की जानकारी भी दी गई। ऋण मेला में 3 करोड़ 44 लाख 70 हजार रूपये की ऋण राशि स्वीकृत की गई। मेला के माध्यम से 85 हितग्राही लाभान्वित किये गये। आजीविका मेला में कलेक्टर दीपक अग्रवाल भी शामिल हुए। उन्होंने मेले में शामिल हितग्राहियों को ऋण चेक का वितरण किया। साथ ही दो हितग्राहियों नारायण एवं टोमेश्वर साहू को शासन के सहयोग से ऋण स्वीकृत कर ट्रैक्टर प्रदान किया गया। एक किसान अभिषेक चतुर्वेदी को कार लोन स्वीकृत कर कार की चाबी प्रदान की गई। मेले में विभिन्न स्वसहायता समूहों को भी बैंक ऋण प्रदान कर आजीविका संवर्धन करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर ने कहा कि राज्य शासन के मंशा अनुसार अधिक से अधिक लोगों को आजीविका गतिविधियों में संलग्न करने के उद्देश्य से ऋण मेला का आयोजन किया गया है। इसके माध्यम से स्व सहायता समूह एवं आमजनों को शासकीय सहायता प्रदान कर सशक्त एवं आर्थिक दृष्टि से विकसित किया जाना है। उन्होंने हितग्राहियों को शासन की सुविधा का लाभ उठाने एवं ऋण योजनाओं का सदुपयोग करते हुए अपनी आजीविका विकसित करने का संदेश दिया। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ रीता यादव, जनपद सीईओ गरियाबंद अहमद जाफरी, लीड बैंक मैनेजर मो. मोफीज, महाप्रबंधक जिला व्यापार उद्योग केन्द्र दीनबंधु ध्रुव, सीईओ अंत्यावसायी रश्मी गुप्ता सहित विभिन्न बैंकों के शाखा प्रबंधक, अधिकारी-कर्मचारी एवं आमजन मौजूद रहे।

लीड बैंक मैनेजर ने बताया कि आजीविका मेला में एनआरएलएम अंतर्गत 38 प्रकरणों में 1 करोड़ 71 लाख रूपये ऋण स्वीकृत की गई। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत 3 प्रकरण में 15 लाख रूपये, मुद्रा योजना के 7 प्रकरण में 25 लाख 40 हजार रूपये, एमएसएमई के 1 प्रकरण में 45 लाख रूपये, 31 लोगों के लिए 69 लाख 47 हजार रूपये की केसीसी, शहरी आजीविका मिशन अंतर्गत 2 प्रकरणों में 3 लाख रूपये, ट्रैक्टर लोन अंतर्गत 3 किसानों को 15 लाख 85 हजार रूपये का ऋण प्रदान किया गया।

इसी प्रकार प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना अंतर्गत 2 प्रकरणों में 4 लाख रूपये प्रदान किया गया एवं 34 नवीन पंजीयन किया गया। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना अंतर्गत 1 प्रकरण का बीमा क्लेम सेटलमेंट के तहत 2 लाख रूपये प्रदान किया गया तथा 27 नवीन पंजीयन किया गया। साथ ही अटल पेंशन योजना अंतर्गत 20 नवीन पंजीयन किये गये। ऋण मेला में स्वसहायता समूहों को क्रेडिट लिंकेज, शासकीय एवं स्वरोजगार ऋण योजनाओं के प्रति जागरूकता, मुद्रा योजना का विस्तार सहित नवीन बैंक खाते और आधार पंजीयन कराने की सुविधा मुहैया करवाई गई। इस अवसर पर जिला पंचायत, लीड बैंक मैनेजर, जिला व्यापार एवं उद्योग, जिला अंत्यावसायी विभाग, खादी ग्रामोद्योग के अधिकारी-कर्मचारियों ने लोगों को लाभान्वित करने के लिए जागरूक किया।

संक्षिप्त पर महत्वपूर्ण

मां के नाम एक पेड़ के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम

अभनपुर। आधुनिक परिवेश में पर्यावरण संतुलन बनाने वृक्षारोपण अति आवश्यक है भाजयूमो ज़िला उपाध्यक्ष व नगर के युवा नेता गोयल भट्ट ने जैव विविधता पार्क अटल नगर रायपुर में आयोजित₹एक पेड़ मां के नाम₹ अभियान के तहत महावृक्षारोपण कार्यक्रम में वृक्षारोपन किया एवं कहा कि केंद्र के मुखिया नरेंद्र मोदी जी द्वारा चलाए जा रहे अभियान में देश के हर हिस्से से हर वर्ग के लोग अपनी सहभागिता दे रहे हैं एवं यह कार्यक्रम नगर के प्रत्येक वार्ड स्तर पर भी होना चाहिए जहां विद्यालयों मंदिरों जैसे प्रमुख स्थानों पर हमें पेड़ लगाकर संरक्षित करना होगा इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ प्रदेश के राज्य स्तरीय महावृक्षरोपण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री केदार कश्यप जी स्थानीय विधायक गुरु ख़ुशवंत साहेब एवं अभनपुर विधायक इन्द्रकुमार साहू जी के साथ वृक्षारोपण किया नवा रायपुर के 145 हेक्टेयर ज़मीन पर स्कूल के बच्चों हर विभाग के अधिकारी कर्मचारियों व सेना के जवानों द्वारा लगभग 11000 पौधों का रोपण किया गया।

डोंगरगढ़ नगर पालिका भाजपा ने दो पर्यवेक्षक बनाये

राजनांदगांव। नगर पालिका परिषद् डोंगरगढ़ में हो रहे विवाद को लेकर जिला भाजपा ने इस मुद्दे को संगठनात्मक संज्ञान में लिया है और इसके निराकरण के लिये पार्टी ने दो पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है जो इस विवाद से संबंधित सारे पहलुओं की जानकारी लेकर उसका निराकरण करेंगें। भाजपा मीडिया सेल द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जिला भाजपा अध्यक्ष रमेश पटेल ने इस विषय के निपटारे के लिये प्रदेश भाजपा के महामंत्री भरत वर्मा व जिला भाजपा के महामंत्री रविन्द्र वैष्णव को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है तथा इसकी सूचना संबंधित लोगो को देकर पार्टी फोरम के भीतर निराकरण करने का निर्देश दिया है।

जिला स्तरीय जल संवाद कार्यक्रम

गरियाबंद। जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण द्वारा 01 मार्च से 30 नवम्बर 2024 तक अवधि में आयोजित होने वाले जल शक्ति अभियान ''कैच द रैन'' 2024 के अंतर्गत नारी शक्ति से जल शक्ति में महिलाओं की सहभागिता एवं अभियान अंतर्गत जिला स्तर पर विभिन्न गतिविधियों पर प्रभावी क्रियान्वयन किया जाएगा। जल संसाधन उप संभाग छुरा के अनुविभागीय अधिकारी ने बताया कि जिला स्तरीय जल संवाद का कार्यक्रम सामुदायिक भवन छुरा में शुक्रवार 12 जुलाई को रखा गया है।

बड़ी संख्या में लोगों ने ली पौधों को संरक्षित करने की शपथ

महानदी के उदगम स्थल में 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत विधानसभा सिहावा में रोपे गए विभिन्न प्रजाति के 200 पौधे

स्वदेश संवाददाता, धमतरी

महानदी के उद्गम स्थल गणेश घाट पर आज जिला प्रशासन एवं वन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में 'एक पेड़ मां के नाम' वृक्षारोपण के महाभियान के तीसरे दिन आज सिहावा विधानसभा में विभिन्न प्रजाति के पौधों का रोपण किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर सुश्री नम्रता गांधी, सीईओ जिला पंचायत सुश्री रोमा श्रीवास्तव, डीएफओ श्री श्रीकृष्ण जाधव, पूर्व विधायक श्रीमती पिंकी शाह, श्री श्रवण मरकाम, एनसीसी, स्काउट-गाइड, डाईट, शासकीय विद्यालय के विद्यार्थी, स्वयंसेवी संस्था के प्रतिनिधि, स्थानीय जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। जनप्रतिनिधियों, विद्यार्थियों सहित अधिकारी, कर्मचारियों ने गणेश घाट के दर्शन किए और साफ-सफाई भी की। इस मौके पर कलेक्टर ने जल संरक्षण के लिए स्वच्छता बनाए रखने और अधिक से अधिक पौधे लगाने की समझाईश उपस्थितों को दी।

स्कूली बच्चों के विशेष आग्रह पर कलेक्टर सुश्री गांधी, सीईओ जिला पंचायत सुश्री रोमा श्रीवास्तव और डीएफओ श्री कृष्ण जाधव ने स्कूली बच्चो से संवाद किया। इस दौरान इन स्कूली बच्चों ने जिले के इन वरिष्ठ अधिकारियों से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी किस तरह से किया जाये, प्रतियोगी परीक्षा में कैसे प्रश्न आते है, इस बारे में पूछा। कलेक्टर सुश्री गांधी ने बताया कि ने प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सबसे जरूरी है लक्ष्य निर्धारित करना। लक्ष्य पूर्ति के लिए ईमानदारी से मेहनत करना। उन्होने बताया कि आप अभी से ही अपने सामान्य ज्ञान को बढ़ाते रहे, जिससे आगे चलकर इन परीक्षाओं में मदद मिलेगी। उन्होंने इन विद्यार्थियों को स्वाध्याय एप की जानकारी देते हुए बताया गया कि जिला प्रशासन द्वारा आप लोगों की सहायता के लिए यह एप बनाया गया है। आप सभी अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए इस एप का उपयोग कर सकते हैं। उन्होने कहा कि आप सभी इतनी तैयारी करें कि अंग्रेजी भाषा आपको समझ में आये। कलेक्टर ने विद्यार्थियों को समझाईश देते हुए कहा कि अगर किसी कारणवश आपका चयन यूपीएससी नहीं हुआ तो निराश न होवें आगे और भी मौके हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को समझाईश दी कि मोबाईल से दूरी बनाए रखें और 25 साल तक की उम्र तक खूब मेहनत करना है। साथ ही खेलों में भी हिस्सा लेना जरूरी है, जिससे कि मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें।

सालासर समिति ने किया 18 मेधावी छात्रों का सम्मान

नवापारा राजिम। नवापारा नगर की समाजसेवी एवम धार्मिक संस्था सालासर सुन्दरकाण्ड जनकल्याण समिति द्वारा शा. हरिहर शाला के 18 मेधावी छात्रों का सम्मान किया गया। जिसके अंतर्गत हरिहर हिंदी एवम अंग्रेजी दोनों माध्यमों के 10वीं तथा 12 वीं के 90 प्रतिशत से अधिक लाने वाले होनहारों को प्रति वर्ष की तरह इस वर्ष भी 21-21सौ नगद राशि, मिठाई समान देकर सम्मानित किया। वहीं नई शुरुआत करते हुए 80से 89 प्रतिशत तक मार्क्स लाने वाले 15 छात्रों को टीफिन बॉक्स, पानी बॉटल, कॉपी तथा सालासर बालाजी की तस्वीर देकर सम्मान किया गया। कक्षा 10वीं से चैतन्य निषाद, हर्षल देवांगन, सृष्टि यदु, श्रेया हिरवानी, पवन पटेल, चंद्रप्रकाश साहू, गुलशन, शेखर, देवकुमार कक्षा12वीं * से गोपाल सोनकर, विवेक तुरकाने, कमलेश, सूरज कुमार, नेमीचंद, राजेश कुमार, नैना निषाद। संस्थापक राजू काबरा ने समिति के धार्मिक सामाजिक, जनकल्याण के कार्यो पर प्रकाश डालते हुवे सभी छात्रों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए आने वाले सत्र में भी मेधावी छात्राओं को सम्मानित करने की घोषणा की।

AFFIDAVIT

I HASLATA is leagally wedded spouse of Service No JC 771159F Rank SUB Name RAMESH YADAV presentaly resident of POL No. B/27 OPOSIT INDIAN BOILER STREET 18 NO ROAD SRI RAMLU CHOWK CAMP-1 BHILAI Post SUPELA Tehsil DURG Dist-DURG PIN-490023 STATE CHHATTISGARH do hereby solemnly affirm and state the on the oth as follows :-

a)That I have change my name from HASLATA to LATAYADAV due to my name was wrongly mentioned in service records in my husband. b)That I am producing this affidavit for the purpose of avideance of my name . c) That I shall at all times hereafter in all reconds deeds and witing and in all proveeding dealing with transaction, private as well as under all occasions what so ever we known as only LATA YADAV. d) That what stated above is true and correct to best of my knowledge information and belif nothing material has been canceceled there from.

मैं हसलता पत्नी रमेश यादव निवासी पोल नं. बी-27 स्ट्रीट नं.-18 इंडियन बोइलर के सामने हैं। श्री रामलु चौक कैप-1 पोस्ट, सुपेला तहसील व जनपद दुर्ग पिन 490023 राज्य छत्तीसगढ़ मेरे पति के सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम हसलता गलत दर्ज है सही नाम लता यादव है समान दर्ज हो।

Deponent
Signature of LATA YADAV

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सहसपुर लोहारा, जिला-कबीरधाम (छ.ग.)

ईश्तहार

अ/2, वर्ष 2023-24
ई कोर्ट नम्बर 202407083300074
क्रमांक/1164/अ.वि.अ./प्रवा./2024
स.लोहारा, दिनांक 10/07/25

एतद् द्वारा सर्वसाधारण एवं ग्रामवासीगण ओड़ियाखुर्द को सूचित किया जाता है, कि आवेदिका श्रीमती चन्द्रमणी साहू पति अश्वनी साहू, निवास का पता ग्राम ओडियाखुर्द, तहसील सहसपुर लोहारा, जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़ ने अपने निजी स्वामित्व की ग्राम-ओडियाखुर्द प.ह.नं.-05, राजस्व निरीक्षक मण्डल सहसपुर लोहारा, तहसील-सहसपुर लोहारा स्थित भूमि खसरा नम्बर 73/13, रकबा 0.0240 हेक्टेयर भूमि को व्यवसायिक प्रयोजनार्थ (मेडिकल स्टोर) व्यपवर्तन किये जाने हेतु आवेदन मय दस्तावेज प्रस्तुत किया है।

उक्त आवेदित भूमि का व्यवसायिक प्रयोजनार्थ (मेडिकल स्टोर) में व्यपवर्तन किये जाने से जिस किसी व्यक्ति / संस्था को कोई दावा / आपत्ति हो तो सुनवाई तिथि 24/07/2024 को समय 05:30 बजे तक स्वतः या अपने अभिभाषक के माध्यम से कर सकते हैं। पश्चात के दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 10/07/2024 को मेरे हस्ताक्षर व पद मुद्रा से जारी।

जारी दिनांक- 10/07/2024
पेशी दिनांक - 24/07/2024

अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व)
मुहर सहसपुर लोहारा

श्रमिकों के समस्याओं के समाधान के लिए मोबाईल कैम्प का हो रहा आयोजन

राजनांदगांव। कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल के मार्गदर्शन में श्रमिकों के समस्याओं के समाधान के लिए ग्राम पंचायतों में मोबाईल कैम्प का आयोजन किया जा रहा है। कलेक्टर ने शासन द्वारा श्रमिकों के कल्याण के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए जिले के श्रमिकों को मोबाईल कैम्प के माध्यम से पंजीयन हेतु आवेदन करने एवं योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने का आग्रह किया है। श्रम पदाधिकारी ने बताया कि मोबाईल कैम्प के माध्यम से श्रमिक पंजीयन, नवीनीकरण, संशोधन एवं शासन द्वारा श्रमिकों के लिए संचालित कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है तथा निर्माण श्रमिकों व असंगठित कर्मकारों का पात्रतानुसार पंजीयन हेतु ऑनलाईन आवेदन किया जा रहा है। साथ ही मोबाईल कैम्प के माध्यम से आवेदनों तथा पंजीयनों में आ रही समस्याओं का निराकरण भी किया जा रहा है।

श्रम पदाधिकारी ने बताया कि श्रमिक वर्ग पंजीयन एवं विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए जनपद पंचायतों में संचालित श्रम कल्याण केन्द्र, श्रमेव जयते मोबाईल एप, लोकसेवा केन्द्र एवं इंटरनेट-कैफे के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। मुख्यमंत्री सहायता केन्द्र के हेल्प लाईन नंबर (टोल फ्री नंबर) 0771-3505050 पर संपर्क कर श्रमिक पंजीयन एवं योजनाओं की जानकरी प्राप्त की जा सकती है। पदाधिकारी ने बताया कि जुलाई माह में जिले के विभिन्न ग्राम पंचायतों में मोबाईल कैम्प का आयोजन किया जा रहा है, जहां श्रमिक पंजीयन एवं योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। 12 जुलाई को डोंगरगढ़ विकासखंड के ग्राम रामपुर-रानीतालाब, डोंगरगांव विकासखंड के ग्राम बीजाभांठा एवं छुरिया विकासखंड के ग्राम भंडारपुर में मोबाईल कैम्प का आयोजन किया जाएगा।

एक पेड़ मां के नाम शासकीय प्राथमिक शाला बिलखंड वृक्षारोपण किया

स्वदेश संवाददाता, बसना

शासकीय प्राथमिक शाला बिलखंड में एक पेड़ मां के नाम पर वन विभाग के रेंजर श्री बीरेंद्र पाठक जी एवं मोतीलाल साहू के दिशा निर्देश में एस एम सी सदस्यों, महिला समुह एवं पालकों द्वारा वृहद वृक्षारोपण किया गया। जिसमें वन विभाग के रेंजर श्री बीरेंद्र पाठक ने सभी महिलाओं एवं पालक को संदेश देते हुए कहा कि अपने अपने घर बाड़ी और खेतों के मेंड पर एक पेड़ लागाये और पर्यावरण अवश्य बचाएं। जिसमें मुख्य रूप से रेंजर श्री बीरेंद्र पाठक, श्री मोतीलाल साहू, प्रधान पाठक श्री विजय कुमार धृतलहरे, एस एम सी के महिला अध्यक्ष श्रीमती पुनय बाई चौहान, विमला भोई, सावित्री निषाद, मायावती निषाद, विद्यानंन्दनी चौहान, कनकुमारी चौहान, चन्द्रा बाई बरिहा, शुकुन बाई बरिहा, हिराबाई सिदार, बेदबाई चौहान, मीना बाई, रमशीला बरिहा, मगली निषाद, शैलेन्द्र चौहान, विओम चौहान, उपस्थित रहे।

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सिमगा, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.)

ईश्तहार

रा.प्र. क्र... अ/2, वर्ष, 2023-24
वाद भूमि ग्राम उड़ेला प.ह.नं. 23

एतद् द्वारा सर्वसाधारण जनता ग्राम उड़ेला प.ह.नं. 23 तहसील सिमगा जिला बलौदाबाजार-भाटापारा, को सूचित किया जाता है कि आवेदक आशीष कुमार यादव पिता रमेश यादव जाति अहीर निवासी ग्राम हथबंद तहसील सिमगा जिला बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.) द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि ग्राम उडेला प.ह.नं. 23 तहसील सिमगा स्थित भूमि खसरा नं. 1/4 रकबा 0.0100 हे. आवेदक के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदक उक्त भूमि खसरा नं. 1/4 रकबा 0.0100 हे. को आवासीय प्रयोजन हेतु पुर्ननिर्धारण किये जाने आवेदन मय शपथ पत्र. बी-1, खसरा, नक्शा, ले-आउट की प्रति संलग्न कर प्रस्तुत किया है।

अतः उक्त आवेदित भूमि को आवासीय प्रयोजन हेतु परिवर्तित कर पुर्न निर्धारण किये जाने में जिस किसी भी व्यक्ति या संस्था को कोई दावा-आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो वह स्वंय या अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रकरण नियत सुनवाई पेशी दिनांक 19/07/2024 तक अपना दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत तिथि के उपरांत प्राप्त आपत्ति-दावा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

अतएव आज दिनांक 04/07/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा सहित जारी किया गया।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
मुहर सिमगा

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सिमगा, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.)

ईश्तहार

रा.प्र. क्र..... अ/2, वर्ष, 2023-24 वाद भूमि ग्राम सिमगा प.ह.नं. 15

एतद् द्वारा सर्वसाधारण जनता ग्राम सिमगा प.ह.नं. 15 तहसील सिमगा जिला बलौदाबाजार-भाटापारा, को सूचित किया जाता है कि आवेदक मो. सज्जाद हुसैन पिता मो. हुसैन निवासी इमामबाड़ा वार्ड नं. 14 सिमगा तहसील सिमगा जिला बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.) द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि ग्राम सिमगा प.ह.नं. 15 तहसील सिमगा स्थित भूमि खसरा नं. 953/11 रकबा 0.0140 हे. आवेदक के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदक उक्त भूमि खसरा नं. 953/11 रकबा 0.0140 हे. को आवासीय प्रयोजन हेतु पुर्ननिर्धारण किये जाने आवेदन मय शपथ पत्र, बी-1, खसरा, नक्शा, ले-आउट की प्रति संलग्न कर प्रस्तुत किया है।

अतः उक्त आवेदित भूमि को आवासीय प्रयोजन हेतु परिवर्तित कर पुर्न निर्धारण किये जाने में जिस किसी भी व्यक्ति या संस्था को कोई दावा-आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो वह स्वंय या अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रकरण नियत सुनवाई पेशी दिनांक 19/07/2024 तक अपना दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत तिथि के उपरांत प्राप्त आपत्ति-दावा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

अतएव आज दिनांक 04/07/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा सहित जारी किया गया।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
मुहर सिमगा

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सिमगा, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.)

ईश्तहार

रा.प्र. क्र........ अ/2, वर्ष, 2023-24
वाद भूमि ग्राम सिमगा प.ह.नं. 15

एतद् द्वारा सर्वसाधारण जनता ग्राम सिमगा प.ह.नं. 15 तहसील सिमगा जिला बलौदाबाजार-भाटापारा, को सूचित किया जाता है कि आवेदक मो. सज्जाद हुसैन पिता मो. हुसैन निवासी इमामबाड़ा वार्ड नं. 14 सिमगा तहसील सिमगा जिला बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.) द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि ग्राम सिमगा प.ह.नं. 15 तहसील सिमगा स्थित भूमि खसरा नं. 1283/15 रकबा 0.0167 हे. आवेदक के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदक उक्त भूमि खसरा नं. 1283/15 रकबा 0.0167 हे. को आवासीय प्रयोजन हेतु पुर्निर्धारण किये जाने आवेदन मय शपथ पत्र, बी-1, खसरा, नक्शा, ले-आउट की प्रति संलग्न कर प्रस्तुत किया है।

अतः उक्त आवेदित भूमि को आवासीय प्रयोजन हेतु परिवर्तित कर पुर्न निर्धारण किये जाने में जिस किसी भी व्यक्ति या संस्था को कोई दावा-आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो वह स्वंय या अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रकरण नियत सुनवाई पेशी दिनांक 19/07/2024 तक अपना दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत तिथि के उपरांत प्राप्त आपत्ति-दावा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

अतएव आज दिनांक 04/07/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा सहित जारी किया गया।

अनुविभागीय अधिकारी (रा)
मुहर सिमगा

कार्यालय अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग, मण्डल क्र.1 रायपुर (छ.ग.)

दुरभाषः (0771) 23314315 फैक्सः (0771) 4055885 ईमेल: 801.ralpur@gov.in

ज्ञाप क्र. /40-154/सा.24 रायपुर, दिनांक

निविदा निरस्तीकरण सूचना

इस कार्यालय द्वारा आमंत्रित निविदा क्र.-155604 एन.आई.टी.क्र.-71 दिनांक 01.07.2024 उपसंभाग अभनपुर अंतर्गत जिला रायपुर के गोबरा नवापारा में एफ.सी.आई गोदाम के पास सी.सी. मार्ग लंबाई-0.64 किमी. निर्माण कार्य। तकनीकी कारणों से निरस्त किया जाता है।

जी.नं.-242500785
दिनांक-03.07.2024

अधीक्षण अभियंता
लोक निर्माण विभाग
रायपुर मंडल क्र.-1, रायपुर

जी- 242501015/6

Public Works Department

Sector-19, North Block, Naya Raipur (C.G.)
E-Procurement Tender Notice
E-mail : tenders-pwd.cg@gov.in

NIT No. 051/TC/EinCIPWD/2024-25 Dated 05.07.2024

The Engineer-in-Chief, Public Works Department on behalf of Governor of Chhattisgarh invites percentage rate bids on electronic tendering system under RCPLWERRP-III in the district of Kanker for construction of 01 Road with estimated cost amounting Rs 189.60 Lacs including their maintenance for five years from the contractors registered with unified registration system (e-registration) in Chhattisgarh. Non registered bidders may submit bid; however the successful bidder must get registered in appropriate class under "Unified Registration System (e-Registration) of Chhattisgarh before signing the agreement.

The bid document shall be available to bidders online free of cost and should be submitted online e-procurement system of government of Chhattisgarh in https://eproc.cgstate.gov.in. Bids form will be available on the website from 05.07.2024 and may be submitted up to 17:00 Hrs. on 22.07.2024

For participating in bidding process, bidders are required to register in the above web-site with nominal fee of Rs 500/- to be paid online to service provider. For submission of the bids, the bidder is required to have a valid Digital Signature Certificate (DSC) from authorized certifying authorities.

The bidders are required to submit (a) original bid security in approved form and (b) original affidavit duly verified and notarized as per clause 4.4 B (a) (ii) and 4.4 B (c) to Chief Engineer, Tender Cell, First Floor, NirmanBhawan, PWD, North Block, Sector-19, Naya Raipur (C.G.) 492-002 as per provisions of bid document through Speed/ Registered post, failing which the bids shall be declared non-responsive.

Detailed schedule of important dates may be seen on notice board of offices and also available on website ofPublic Works Departmenthttp://pwd.cg.nic.in

Chief Engineer
(Central Tender Cell)
Office of Engineer-In-Chief
P.W.D. Nava Raipur Atal Nagar (C.G.)

G-242500973/8

कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड

ई-नीलामी सह बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना

पंजीकृत कार्यालय : 27बीकेसी, सी 27, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई), मुंबई- 400 051
कॉर्पोरेट कार्यालय : कोटक इन्फिनिटी, जोन-II, चौथी मंजिल, बिल्डिंग नंबर 21, इन्फिनिटी पार्क, ऑफ डब्ल्यू.ई. हाईवे, गोरेगांव, मुंबई - 400 097
शाखा/क्षेत्रीय कार्यालय : कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, पहली मंजिल, मुक्ता प्रयाग कॉम्प्लेक्स निरंकारी फर्नीचर के पास पंडरी रायपुर 492001 छ.ग.

इसके द्वारा आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता को नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के पास गिरवी है, और जिसका भौतिक कब्ज़ा प्राधिकृत द्वारा ले लिया गया है। कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के अधिकारी, जिसके विरुद्ध आरक्षित मूल्य के रूप में उल्लेखित राशि पर एक इच्छित क्रेता से रुचि की अभिव्यक्ति/प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और इसलिए वसीयत के तहत वर्णित अचल संपत्ति की खरीद के लिए सीलबंद लिफाफे में अधोहस्ताक्षरी द्वारा आगे के प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं। 'जैसा है जहां है', 'जैसा है जो है' और 'जो कुछ भी है' के आधार पर बेचा जाएगा। हमारे ई-नीलामी सेवा भागीदार, मैसर्स के वेब पोर्टल के माध्यम से ई-नीलामी में भाग लेने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं। सी1 इंडिया प्रा. लिमिटेड **(www.c1india.com)** पर अचल संपत्ति की बिक्री के लिए अधोहस्ताक्षरी द्वारा विवरण नीचे दिया गया है:-

उधारकर्ता(ओं)/गारंटर(ओं) /बंधककर्ता(ओं) का नाम	मांग सूचना दिनांक एवं राशि	अचल संपत्तियों का विवरण	आरक्षित मूल्य / बयाना राशि जमा (ईएमडी)	अचल संपत्ति के निरीक्षण की तिथि / नीलामी की तिथि/समय
ऋण खाता संख्या आरएचबी- 531275 और आरएचबी-482460 सीआरएन संख्या 900044300. 1. श्री मुकेश कुमार बरहैया, (उधारकर्ता) 2. श्रीमती निशा बरहैया (सह-उधारकर्ता) दोनों का पता: एलआईजी 90 वैशाली नगर, वार्ड क्रमांक 10, सुपेला भिलाई दुर्ग सीजी 490023.	डिमांड नोटिस दिनांक 17-08-2018 रु. 41,23,099.98/- (रुपये इकतालिस लाख तेईस हजार निन्यानबे रु. एवं अन्ठानवे पैसे मात्र) 17 अगस्त 2018 तक	अचल संपत्ति का पूरा हिस्सा आवासीय संपत्ति है, जिसका क्षेत्रफल 1566 वर्ग फीट है और निर्मित भाग 1600 वर्ग फीट है, जो एलआईजी 90, हाउसिंग बोर्ड वैशाली नगर भिलाई वार्ड क्रमांक 10, सुपेला भिलाई दुर्ग पिन कोड 490023 पर स्थित है। सीमा : पूर्व : एलआईजी 60, पश्चिम: रास्ता, उत्तर- एलआईजी 91, दक्षिण : एलआईजी 89, स्वामित्व श्री मुकेश कुमार बरहैया के पास है।	आरक्षित मूल्य: रु. 65,49,750/- (रुपये पैंसठ लाख उनचास हजार सात सौ पचास मात्र) / बयाना राशि जमा (ईएमडी): रु. 6,54,975/- (रुपये छह लाख चौवन हजार नौ सौ पचहत्तर मात्र)	24/07/2024 11:00 बजे 12:00 बजे / नीलामी की तिथि/समय: 30/07/2024 11:00 बजे- 12:00 बजे

बोली वृद्धि राशि 50,000/- प्रस्ताव/ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि:- 29/07/2024, शाम 5.00 बजे तक।

बिक्री के महत्वपूर्ण नियम और शर्तें:-

(1) नीलामी बोली दस्तावेज़ के आगे के नियमों और शर्तों और उसमें निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आयोजित की जाती है। बोलीदाता हमारे ई-नीलामी सेवा प्रदाता, मैसर्स की वेबसाइट पर जा सकते हैं। सी1 इंडिया प्रा. लिमिटेड यानी बोली दस्तावेजों के लिए **https://www.bankeauctions.com,** ई-नीलामी के लिए रखी गई सुरक्षित संपत्ति का विवरण और बोली फॉर्म जो ऑनलाइन जमा किया जाएगा; (2) सभी इच्छुक क्रेताओं/बोलीदाताओं को ऊपर उल्लेखित वेब पोर्टल **https://www.bankeauctions.com** पर अपना नाम पंजीकृत करना होगा और ई-मेल में भाग लेने के लिए अपना यूजर आईडी और पासवर्ड निःशुल्क जनरेट करना होगा। -उपरोक्त तिथि और समय पर नीलामी; (3) ई-नीलामी पर किसी भी पूछताछ, सूचना, समर्थन, प्रक्रिया और ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए, संभावित बोलीदाता हमारी ई-नीलामी सेवा के मेसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड विभाग मीथेश कुमार से मोबाइल नंबर : 7080804466 और संपर्क कर सकते हैं। ई-मेल आईडी : **mpcg@c1india.com** और **support@bankeauctions.com;** (4) प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी और जानकारी के अनुसार, संपत्ति/संपत्तियों पर कोई बाधा नहीं है। हालाँकि, इच्छुक बोलीदाता ऊपर बताए अनुसार संपत्ति और उसके दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकते हैं या पूर्व नियुक्ति के साथ किसी अन्य तिथि और समय का निरीक्षण कर सकते हैं और उन्हें ई-नीलामी पर रखी गई संपत्ति/संपत्तियों के शीर्षक और दावों/अधिकारों के संबंध में अपनी स्वतंत्र पूछताछ करनी चाहिए। बकाया/अपनी बोली जमा करने से पहले संपत्ति को प्रभावित करना। ई-नीलामी विज्ञापन में केएमबीएल की कोई प्रतिबद्धता या कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। संपत्ति सभी मौजूदा और भविष्य की बाधाओं के साथ बेची जा रही है, चाहे केएमबीएल को ज्ञात हो या अज्ञात। प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित लेनदार किसी भी तीसरे पक्ष के दावे/अधिकार/बकाया के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा; (5) अन्य सभी बोलीदाताओं की ईएमडी जो ई-नीलामी में सफल नहीं हुए उन्हें केएमबीएल द्वारा ई-नीलामी बंद होने के 72 कार्य घंटों के भीतर वापिस कर दिया जायेगा। एमडी पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। (6) सफल बोलीदाता को पैन नंबर पर टीडीएस के लिए बिक्री मूल्य का 1% (बिक्री आय में से) का भुगतान करना होगा और प्राधिकृत अधिकारी को टीडीएस प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा और बिक्री मूल्य की पूरी राशि (टीडीएस के लिए 1% की कटौती के बाद) जमा करनी होगी, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रस्ताव स्वीकार किए जाने के 15 कार्य दिवसों के भीतर या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उचित समझे जाने वाले अन्य विस्तारित समय के भीतर ईएमडी को समायोजित करना होगा, ऐसा न करने पर बयाना जमा जब्त कर लिया जाएगा।

उधारकर्ता/बंधककर्ता/गारंटर को इसके द्वारा **सरफेसी अधिनियम के नियम 6(2), 8(6) और 9(1) के तहत वैधानिक 15 दिनों का नोटिस** दिया जाता है कि वे पूरी देनदारी का निर्वहन करें और भुगतान करें। इस नोटिस की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर अद्यतन ब्याज और खर्चों के साथ ऊपर उल्लिखित बकाया राशि जमा करें, ऐसा न करने पर सुरक्षित संपत्ति ऊपर उल्लेखित नियमों और शर्तों के अनुसार बेची जाएगी। यदि अंग्रेजी और वर्नाक्युलर अखबार में बिक्री नोटिस के प्रकाशन के बीच कोई विसंगति है, तो ऐसी स्थिति में अंग्रेजी अखबार स्थानीय अखबार का स्थान ले लेगा और इसे अंतिम प्रति माना जाएगा, जिससे अस्पष्टता दूर हो जाएगी। यदि उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता बिक्री की तारीख से पहले बैंक को देय राशि का पूरा भुगतान कर देता है, तो नीलामी रोक दी जाएगी।

बिक्री की विस्तृत शर्तों के लिए बैंक के उपरोक्त क्षेत्रीय कार्यालय में प्राधिकृत अधिकारी रविन्द्र द्विवेदी @ +919764443818, और श्री अशोक मोटवानी @ 9873737351 से संपर्क करें।

विशेष निर्देश: ई-नीलामी हमारे सेवा प्रदाता, मैसर्स द्वारा आयोजित की जाएगी। सी1 इंडिया प्रा. लिमिटेड, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड **(KMBL)** की ओर से, पूर्व-निर्दिष्ट तिथि पर, जबकि बोलीदाताओं को आरक्षित मूल्य से ऊपर अपनी पसंद के अनुसार अपनी बोली के लिए अपने घर/कार्यालय/स्थान से बोली लगानी होगी। इंटरनेट कनेक्टिविटी और अन्य सामग्री आवश्यकताओं को बोलीदाताओं को स्वयं सुनिश्चित करना होगा। कृपया ध्यान दें कि इंटरनेट कनेक्टिविटी की विफलता (किसी भी कारण से हो) की पूरी जिम्मेदारी बोलीदाताओं की होगी और न ही केएमबीएल और न ही सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की। लिमिटेड इन अप्रत्याशित परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार होगा। ऐसी आकस्मिक स्थिति से बचने के लिए, बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे सभी आवश्यक व्यवस्थाएं/विकृप करें, ताकि वे ऐसी स्थिति से बच सकें और फिर भी ई-नीलामी में सफलतापूर्वक भाग ले सकें। हालाँकि, बोलीदाताओं से अनुरोध है कि ऐसी किसी भी जटिल स्थिति से बचने के लिए अपनी बोली को उद्धृत करने/सुधारने के लिए अंतिम क्षण तक प्रतीक्षा न करें।

स्थान : भिलाई/दुर्ग छग दिनांक : 12/07/2024 एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड